भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 762
08 फरवरी , 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में जड़बुद्धिता के मामले

762 श्री शमशेर सिंह दुलोः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में वर्ष 2019 से अब तक जड़बुद्धिता के मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लेसेंट पब्लिक हेल्थ के द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में भारत में वर्ष 2050 तक जड़बुद्धिता के मामलों में 197 प्रतिशत वृद्धि होने की ओर इशारा किया है;
(ग) क्या सरकार जड़बुद्धिता से जुड़े जोखिम कारकों की व्यापकता और उपर्युक्त जोखिम कारकों का समाधान करने संबंधी नीतियों को लागू करने की मंशा रखती है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार सिगरेट का उत्पादन एवं इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मंशा रखती है क्योंकि धुम्रपान जड़बुद्धिता से जुड़े जोखिम कारकों में से एक है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): लेंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में डिमेंसिया (जड़बुद्धिता) के 38,43,118 मामले होने का अनुमान लगाया गया था। भारत में डिमेंसिया के मामलों की संख्या केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ): मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बेहतर प्रबंधन द्वारा डिमेंसिया के जोखिम को संभावित रूप से कम किया जा सकता है। भारत सरकार मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच करने, शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) कार्यान्वित कर रही है। सामान्य एनसीडी की जांच भी आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है। सरकार राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) भी कार्यान्वित कर रही है। एनपीएचसीई के प्रमुख कार्यकलापों में ओपीडी परिचर्या सेवाओं और 30 बिस्तरों वाले जेरियाट्रिक वार्ड के साथ क्षेत्रीय जेरियाट्रिक केन्द्रों (आरजीसी) में जेरियाट्रिक विभाग की स्थापना, 10 बिस्तरों वाले जेरियाट्रिक वार्ड सहित विशेष जेरियाट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में जेरियाट्रिक इकाइयों की स्थापना, सप्ताह में दो बार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जेरियाट्रिक क्लीनिकों में पुनर्वास इकाई की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक जेरियाट्रिक क्लीनिक की स्थापना तथा स्वस्थ जीवन शैली, बिस्तर पर पड़े (बेड रिडन) रोगियों की घर पर देखभाल और उप-केन्द्र स्तर पर जरूरतमंद वृद्धजन के लिए सहायक उपकरणों के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, मानसिक विकारों का भार कम करने के लिए, सरकार मानसिक विकारों/बीमारियों का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए देश के 704 जिलों में एनएमएचपी के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन को सहायता दे रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तृतीयक परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य स्पेशलिटीज़ में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों के प्रवेश में वृद्धि करने के लिए तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों और 47 स्नातकोत्तर विभागों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और केंद्रीय और राज्य चिकित्सा कॉलेजों के मनोरोग विंग में अल्जाइमर रोग, जो डिमेंसिया का सबसे आम कारण है, का जल्दी पता लगाने और उपचार करने की सुविधाएं भी हैं।

(ङ) देश में तम्बाकू के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं -

i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू के उपयोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों से जनता की रक्षा करने के लिए तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा 2003) नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया है। कोटपा, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रावधानों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध अनिवार्य है; नाबालिगों को और उनके द्वारा और शैक्षिक संस्था के 100 गज की दूरी के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध; तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध और विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का प्रदर्शन करना अनिवार्य है।

ii. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) इस मंत्रालय द्वारा 2007-08 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य (i) तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, (iii) सीओटीपीए, 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना (iv) लोगों को तम्बाकू का उपयोग छोड़ने में मदद करना, और (v) डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबेको कंट्रोल द्वारा सिफारिश की गई तम्बाकू की रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है। नप्रवर्तन प्रयासों की निगरानी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (एसटीसीसी) और जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (डीटीसीसी) द्वारा भी की जाती है।

iii. तम्बाकू उत्पाद पैकों के प्रमुख प्रदर्शन भाग के 85% को कवर करते हुए सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां प्रदर्शित की जाती हैं।

iv. कोटपा, 2003 की धारा-6 को कार्यान्वित करने के लिए तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थाओं (टीओएफईआई) के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रसार/कार्यान्वयन किया गया है।

*****